IFAD
Enabling poor rural people to overcome poverty

एकीकृत आजीविका संवाद

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति– एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

अंक 3 अप्रैल, 2015

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर टेक होम राशन की उपलब्धता हेतु अभिनव प्रयास की टिहरी जनपद में हुई शुरूआत

परियोजना अन्तर्गत जनपद टिहरी में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 'टेकहोम राशन' की आपूर्ति का कार्य जनवरी 2015 से आरम्भ किया गया है।

इसी क्रम में प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाईयों द्वारा समेकित बाल विकास परियोजनाओं के साथ अभिसरण कर फैडरेशनों को टेक होम राशन की आपूर्ति का कार्य दिलाने की पहल की गई। इस अभिनव कार्य की पहल जनपद अल्मोड़ा के फैडरेशन द्वारा की गई। वर्तमान में तीन जनपदों में 18 फैडरेशनों द्वारा टेक होम राशन आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता समितियों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

टेक होम राशन के निर्धारित मानकों के अनुसार सोयाबीन, स्थानीय दालें, मंडुवा का आटा, गुड़, नमक, दलिया, मूंगफली/भुना चना आदि सफाई, ग्रेडिंग एवं पैंकेजिंग के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। फैडरेशन द्वारा खाद्यान्न सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर स्वयं सहायता समूहों से क्रय की जाती है तथा शेष सामग्री बाजार से क्रय की जाती है।

जनपद टिहरी में जन.से मार्च 2015 तक फैडरेशनों द्वारा टेकहोम राशन की आपूर्ति एवं इस कार्य से फैडरेशनों का टर्नओवर निम्नानुसार रहा–

फैडरेशन का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र	कुल टर्नओवर (मार्च2015 तक)
विकास स्वा.सह., प्रतापनगर	30	₹ 76/- हजार
बालगंगा स्वा. सह., भिलंगना	20	₹ 61/- हजार
चन्द्रबदनी स्वा. सह., देवप्रयाग	21	₹ 63/- हजार
नागटिब्बा स्वा. सह., जौनपुर	21	₹ 58/- हजार

टिहरी जनपद के जिला प्रशासन, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, सहकारिताओं एंव एकीकृत बाल विकास परियोजना के संयुक्त प्रयासों से आरम्भ किया गया यह नवीन प्रयास सम्बन्धित विभागों तथा वास्तविक लाभार्थियों द्वारा काफी सराहा गया है।

टेक होम राशन

प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को पूरक पोषाहार के रूप में टेक होम राशन उपलब्ध कराया जाता है। टेक होम राशन का क्रय आंगनवाड़ी स्तर पर गठित माता समिति द्वारा किया जाता है। पूरक पोषाहार की गुणवत्ता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से टेक होम राशन की आपूर्ति मुख्य सचिव के शासनादेश संख्या 3069/XVII(4) 2013/129/06 दिनांक 05 सितम्बर 2013 एवं शासनादेश संख्या 1792/XVII(4) 2014/129/2006 दिनांक 01 सितम्बर 2014 के अनुसार माता समिति द्वारा अनुपूरक पोषक आहार की निर्धारित सामग्री का क्रय नाबार्ड, आजीविका परियोजना, कृषि एवं ग्राम्य विकास विभाग अथवा अन्य शासकीय विभागों द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों तथा फैडरेशनों के माध्यम से किया जाना निश्चित हुआ है।

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLCMC) का गठन

परियोजना की कार्य प्रगति एवं विभिन्न शासकीय विभागों व वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना की लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किये गए अभिसरण की समीक्षा तथा आवश्यक मार्गदर्शन के लिए माह फरवरी 2015 को सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLCMC) गठित की गई।

उक्त समिति में सदस्य सचिव मुख्य विकास अधिकारी एवं सदस्य संयोजक सम्बन्धित प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक UGVS हैं तथा 16 सदस्य जनपद स्तर के विभिन्न अधिकारी हैं यथा–

1- नोडल प्रभागीय वनाधिकारी 2- परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए./ जिला मिशन प्रबन्धक एन.आर.एल.एम. 3- मुख्य कृषि अधिकारी 4- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, 5- जिला सहायक निबन्धक सहकारी समिति 6- जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी 7- महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द 8- अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग 9- अग्रणी बैंक प्रबन्धक 10- जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड 11- जिला उद्यान अधिकारी 12- जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास परियोजना 13- जिला समाज कल्याण अधिकारी 14- सम्बन्धित विकासखण्डों के खण्ड विकास अधिकारी 15- परियोजना में कार्यरत तकनीकी एंजेसी के प्रतिनिधि 16- परियोजना के अन्तर्गत गठित फैडरेशनों के प्रतिनिधि (चक्रीय आधार पर) तथा समिति के अध्यक्ष/सचिव द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य।

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक 3 माह में एक बार आयोजित की जाती है।

परियोजनान्तर्गत तकनीकी एंजेसियों ने कार्य किया आरम्भ

परियोजना गतिविधियों के ग्राम स्तर पर क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में 8 जनपदों के 14 विकासखण्डों हेतु 7 तकनीकी एंजिसयों का चयन कर उनके साथ अनुबंध किया जा चुका है। चयनित तकनीकी एंजेसियों को आंवटित किये गये विकासखण्डों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	तकनीकी एजेंसियां	विकासखण्ड	जनपद
1	CBED (सीबैड) देहरादून	जौनपुर	टिहरी
		मुनाकोट	पिथौरागढ़
2	SBMA (एस.बी.एम.ए.) टिहरी	गरूड	बागेश्वर
		धराली	चमोली
3	GRASS (ग्रास) अल्गोड़ा	हवालबाग	अल्मोड़ा
		सल्ट	
4	ATI (ए.टी.आई.) देहरादून	भटवाड़ी	उत्तरकाशी
		चम्बा	टिहरी
5	ASEED (असीड) दिल्ली	जखोली	रूद्रप्रयाग
		अगस्तमुनि	
6	IHHDC (आई.एच.एच.डी.सी.) गुड़गांव	भिकियासैंण	अल्मोड़ा
		चौखुटिया	
7	HARC (हार्क) देहरादून	कालसी	देहरादून
		चकराता	

उक्त विकासखण्डों के अतिरिक्त तकनीकी एंजेसिंयों द्वारा पूर्व परियोजना ULIPH विकासखण्डों में गठित फैडरेशनों को भी तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है।

तकनीकी एंजेसियों द्वारा परियोजना क्षेत्र में सम्पन्न किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

- समस्त विकासखण्डों में क्लस्टर कार्यालयों की स्थापना।
- परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु फील्ड एवं कार्यालय स्टाफ की नियुक्ति एवं क्षेत्रों का आवंटन।
- परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के सम्पादन हेतु फील्ड स्टाफ द्वारा सघन क्षेत्र भ्रमण।
- ग्राम प्रधानों के साथ बैठकें करना एवं परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- उत्पादक समूहों का गठन एवं बैंकों में उनका खाता खोलने की प्रक्रिया करना।
- गठित उत्पादक समूहों की बैठकों का निरन्तर आयोजन करना।
- ग्रामों की खाद्य सुरक्षा योजना तैयार करना तथा चयनित वैल्यूचेन आधारित गतिविधियों के अनुरूप समूह सदस्यों को परियोजना द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करना एवं समूहों को चयनित गतिविधियों हेतु निरन्तर तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- समूहों में गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित रेखीय विभागों के साथ अभिसरण करना।

जनपद चमोली विकासखण्ड थराली के ग्राम कोलपुडी में आलू बीज बुवाई की तकनीकी जानकारी देते हुए तकनीकी एंजेसी के कार्यकर्ता

परियोजना गतिविधियों के मुख्य आकर्षण

परियोजना के अन्तर्गत मार्च 2015 तक 1304 उत्पादक समूहों को चिन्हित किया जा चुका है जिनसे 11184 सदस्य जुड़े हैं। परियोजना क्षेत्रों में वैल्यूचेन आधारित डेयरी, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, बकरी पालन, मसाला उत्पादन, परम्परागत कृषि, मुर्गी पालन आदि गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। व्यावसायिक गतिविधियों से 701 उत्पादक समूह एवं 6005 सदस्य जुड़े हैं जिन्हें परियोजना द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। फैडरेशनों द्वारा मुख्य रूप से टेक होम राशन, रामदाना, दूध, आलू, मटर, इनपुट आउटपुट सेन्टर, सामान्य उत्पाद, आलू बीज एवं ग्रामीण उत्पादों में सफल व्यापार किया जा रहा है।

भेड़पालकों के साथ शीतकालीन प्रवास के दौरान ऊन एवं आजीविका विकास कार्यशाला

परियोजना द्वारा उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के साथ समन्वय कर 27 फरवरी 2015 को गढ़वाल क्षेत्र के भेड़पालकों हेतु उनके शीतकालीन प्रवास के दौरान ऊन एवं आजीविका विकास के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनपद टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी व देहरादून के लगभग 70 भेड़पालकों ने प्रतिभाग किया।

कार्यशाला में भेड़पालकों द्वारा अपनी समस्याओं को साझा किया गया जिसमें मुख्य रूप से उत्पादों के विपणन हेतु उचित मंच न मिलने के कारण उत्पाद के खराब होने की समस्या, सरकार की योजनाओं की जानकारी न मिलना आदि शामिल हैं। कार्यशाला में भेड़ों में होने वाले रोगों एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी दी गई। खादी ग्रामोद्योग द्वारा विपणन में सहयोग करने तथा अच्छी गुणवत्ता की ऊन एवं उत्पाद तैयार करने हेतु आवश्यक जानकारियां दी गई। भेड़पालकों को उत्पादक समूह तथा फैडरेशन बनाने हेतु प्रेरित किया गया जिससे वे परियोजना का लाभ प्राप्त कर सकें। कार्यशाला में भेड़पालकों एवं बोर्ड के साथ उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने तथा कार्डिंग इकाई लगाने हेतु चर्चा भी की गई।

भेड़पालकों का डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से पहली बार उनका बायोमीट्रिक पंजीकरण भी करवाया गया। परियोजना की ओर से भेड़ पालकों के लिये दवाइयों का किट, सामान ले जाने के लिये पिट्ठू बैग, फोल्डिंग मैट्रेसेज तथा पोर्टेबल टैंट आदि वितरित किये गये।

बसंतोत्सव 2015 में परियोजना की सहभागिता

राज्य के राजभवन परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले बसंतोत्सव में दिनांक 28 फर. से 01 मार्च 2015 को परियोजना द्वारा प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया गया। प्रदर्शनी के स्टॉल नं० 1 में समूहों एवं फैडरेशनों के उत्पादों जैसे पारम्परिक अनाज, मसाले, दालें, हस्तशिल्प आदि को प्रदर्शनी हेतु रखा गया था। इस स्टॉल पर परियोजना एवं फैडरेशनों के प्रतिनिधियों द्वारा उत्पादों एवं परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। स्टॉल नं० 8 पर उत्पादों की बिक्री की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने खरीदारी के साथ-साथ अन्य दिनों में देहरादून में उत्पादों की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी भी लेनी चाही जो कि बाजार उपलब्धता का एक सकारात्मक फीडबैक है।

चौलाई के संग्रहित बाजारीकरण की उत्साहवर्धक पहल

बागेश्वर जनपद के लोहारखेत क्षेत्र के दूरस्थ गांवों में चौलाई की खेती की होती है। यहां के किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें फसल के उचित दाम नहीं मिलते जिसके कारण उनमें खेती के प्रति उदासीनता आ रही है। क्षेत्र में कार्यरत मां चिल्ठा स्वायत्त सहकारिता द्वारा वर्ष 2014-15 में चौलाई को बाजार तक पहुंचाने, किसानों को उचित मूल्य दिलवाने तथा स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संग्रहित बाजारीकरण का कार्य शुरू किया। परियोजना की प्रभागीय इकाई के सहयोग से विकासनगर मंडी में ग्रेडेड चौलाई का 5 हजार प्रति कुं० की दर से मूल्य निर्धारित हुआ। फैडरेशन ने किसानों से 20 कुं० अधिक्य चौलाई ₹35 प्रति किग्रा० की दर से खरीदा। किसानों को फैडरेशनों द्वारा दी गई दरों से ₹ 10 प्रति किग्रा० का लाभ हुआ। फैडरेशन ने चौलाई का कुल ₹ 01 लाख का व्यवसाय किया।

संग्रहित बाजारीकरण की पहल ने फैडरेशन के शेयर होल्डरों एवं स्थानीय किसानों को संदेश दिया कि स्थानीय उत्पादों की बाजार में काफी मांग है तथा उत्पाद के अच्छे दाम भी मिल सकते हैं। अधिक मात्रा में चौलाई का उत्पादन करके अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। किसानों के साथ-साथ फैडरेशन स्वयं भी अपनी इस पहल से काफी उत्साहित है।

आजीविका संवर्धन के लिए परियोजना की पहल

आपदाग्रस्त जनपद रूद्रप्रयाग में व्याप्त आजीविका के संकट में समुदाय को सहयोग देने हेतु वर्ष 2014 में परियोजना द्वारा विकासखण्ड जखोली एवं अगस्तमुनि का चयन कर जनपद में आजीवका संवर्धन की गतिविधियां प्रारम्भ की गई। प्रथम चरण में 16 समूहों को अंगीकृत किया तथा वैल्यूचेन आधारित गतिविधियों को चिन्हित कर कार्य आरम्भ किया गया।

- अगस्तमुनि विकासखण्ड में डेयरी, आलू व अदरक उत्पादन हेतु 14 उत्पादक समूहों के 51 सदस्यों के साथ गतिविधयों का क्रियान्वयन।
- जखोली विकासखण्ड में डेयरी, टमाटर, आलू, अदरक उत्पादन व हस्तशिल्प हेतु 19 उत्पादक समूहों के 158 सदस्यों के साथ गतिविधियों का क्रियान्वयन।

उक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु उत्पादक समूह सदस्यों को कुल ₹ 11.79 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

इसके साथ ही समूहों को तकनीकी एजेंसी ग्रास के माध्यम से परियोजना द्वारा निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आशा है भविष्य में परियोजना द्वारा सहायतित समूह सदस्यों को अपनी गतिविधियों से आजीवका बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होंगे।

कृषि आधारित व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़े उत्पादक समूह

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनाकोट, कनालीछीना एवं पिथौरागढ़ में द्वितीयक आंकड़ों का संकलन, पूर्व में गठित समूहों से सम्पर्क एवं परियोजना गतिविधियों हेतु समूहों का अंगीकरण तथा परिवारों का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हो चुका है। अंगीकृत समूहों के साथ खाद्य सुरक्षा सुधार योजना (FSIP) के अन्तर्गत डेयरी, बकरी पालन, बेमौसमी सब्जी तथा मसाला उत्पादन की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विकासखण्ड कनालीछीना में बेमौसमी सब्जी उत्पादन, मासाला उत्पादन एवं डेयरी से 25 उत्पादक समूहों के 198 सदस्यों को, विकासखण्ड मुनाकोट में मसाला उत्पादन, डेयरी एवं बकरी पालन से 27 उत्पादक समूहों के 157 सदस्यों को तथा विकासखण्ड पिथौरागढ़ में मसाला उत्पादन से 21 उत्पादक समूहों के 112 सदस्यों को जोड़ा गया है।

उक्त गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्पादक समूहों के सदस्यों को ₹ 19.68 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तकनीकी एजेंसी सीबैड के माध्यम से समूह सदस्यों को समय-समय पर तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ समुदाय तक पहुंचाने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग के साथ अभिसरण कर 10 समूह सदस्यों के पशुओं का बीमा कराया गया।

मटर कृषिकरण से हुई परियोजना की शुरूआत

जनपद देहरादून में परियोजना द्वारा ग्रामीण समुदाय की आजीविका संवर्धन की गतिविधियों हेतु विकासखण्ड कालसी व चकराता का चयन किया गया। प्रारंभ में कालसी ब्लॉक में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के समूहों को अंगीकृत कर उनके साथ आयअर्जन गतिविधियों पर चर्चाएं की गईं। क्षेत्र में मटर उत्पादन की बहुलता (वर्ष में दो बार) को देखते हुए ग्राम पानुवा व बिसोई के समूहों ने मटर की खेती करने में रूचि दिखाई। परियोजना द्वारा किसानों को बीज, खाद तथा फसल की देखरेख संबंधी जानकारियां दी गईं। मटर की खेती हेतु 04 उत्पादक समूहों के 34 सदस्यों को ₹ 68 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मटर बीज क्रय हेतु क्रय समिति का गठन किया गया। क्रय समिति द्वारा GS10 प्रजाति का बीज क्रय कर सदस्यों को वितरित किया गया । मटर की बुवाई की जा चुकी है। अप्रैल माह के अन्तिम सप्ताह तक फसल तैयार होने की सम्भावना है। द्वितीय चरण माह जून-जुलाई में मटर की खेती के लिए तकनीकी एंजेसी हार्क के माध्यम से परियोजना द्वारा उत्पादक समूहों में सघन रूप से चर्चाएं की जा रही हैं, जिससे मटर उत्पादन के माध्यम से समूह सदस्यों की आजीविका में वृद्धि की जा सके।

बकरी पालन का मॉडल बना कटारमल गांव

बकरी पालन पर्वतीय क्षेत्र में परम्परागत व्यवसाय है। गरीबी में जीवन यापन कर रहे भूमिहीन समुदाय के लिए बकरी पालन व्यवसाय कम लागत एवं अल्पावधि में अच्छी आमदनी प्राप्त करने का साधन है। जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखण्ड का कटारमल गांव अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है। यहां की अधिकांश भूमि असिंचित है जिस कारण लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व मजदूरी है। परियोजना की प्रभागीय इकाई द्वारा गांव में परियोजना गतिविधियों की शुरूआत हेतु नाबार्ड द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों को अंगीकृत कर उनके साथ सम्पर्क व बैठकें की गई। इसके परिणामस्वरूप जय लक्ष्मी समूह के 7 व उजाला समूह के 13 सदस्य बकरी पालन गतिविधि से जुड़े। परियोजना द्वारा दोनों समूहों को प्रति सदस्य ₹ 36,00 कुल ₹ 72/- हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। समूह सदस्यों द्वारा स्वयं ₹ 24/- हजार का निवेश किया गया। जय लक्ष्मी समूह ने 14 तथा उजाला समूह ने 26 बकरियां स्थानीय स्तर पर खरीदी।

परियोजना द्वारा समस्त बकरी पालक सदस्यों हेतु पशु अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर में शैक्षणिक भ्रमण एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण तथा ग्राम स्तर पर बकरी स्वास्थ्य प्रबन्धन शिविर भी आयोजित किया गया। परियोजना के मार्गदर्शन में समूह सदस्यों ने निर्णय लिया कि गांव में खाली पड़ी या अनुपयोगी भूमि में बकरियों के लिए चारा उत्पादन हेतु पौध, झाड़ी एवं अन्य संबंधित वनस्पतियों के रोपण का प्रस्ताव भी किया जायेगा।

इस प्रकार गांव में बकरी पालन गतिविधि की शुरूआत हुई आज कटारमल में बकरी पालन गतिविधि से सम्बन्धित 12 उत्पादक समूह गठित हो चुके हैं। जनपद मुख्यालय के निकट होने का कारण इस व्यवसाय हेतु बाजार की अच्छी उपलब्धता है।

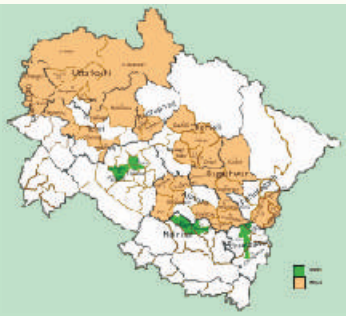

प्रभागीय परियोजना प्रबनधन इकाई सम्पर्क पताः

- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, अल्मोड़ा
  टेलीफैक्सः 05962-230910, 230305
  ईमेलः dpmalmora@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, बागेश्वर
  टेलीफैक्सः 05963-221502, 211746
  ईमेलः dpmbageshwar@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, चमोली
  टेलीफैक्सः 01372-251355, 251451
  ईमेलः dpmchamoli@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, टिहरी
  टेलीफैक्सः 01376-256133, 256249
  ईमेलः dpmtehri@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तरकाशी
  टेलीफैक्सः 01373-223925, 223466
  ईमेलः dpmuttarkashi@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, रूद्रप्रयाग
  ईमेलः dpmrudraprayag@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, पिथौरागढ़
  ईमेलः dpmpithoragarh@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, देहरादून
  ईमेलः dpmdehradun@ugvs.org

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में गरीबी को कम करना है। ग्रामीण परिवारों को चिरन्तर आजीविका का अवसर उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बनाते हुये, उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर इस उद्देश्य की प्राप्ति जानी है।

परियोजना वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 तक कुल सात वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत है, जिसका क्रियान्वयन 01 जुलाई 2013 से प्रारम्भ हुआ है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के 11 जनपदों के 41 विकासखण्डों में किया जा रहा है।

प्रकाशकः श्री विजय कुमार, परियोजना निदेशक,

संपादकीय टीमः परियोजना स्टाफ

पताः
216, फेज II, पंडितवाड़ी, देहरादून
टेलीफैक्सः 0135-2774800, 2773800
ईमेलः info@ugvs.org
वेबसाईटः www.ugvs.org

केवल सीमित वितरण हेतु प्रकाशित

परियोजनान्तर्गत तकनीकी एंजेसियों की अभिमुखीकरण कार्यशाला

जनपद चमोली एवं बागेश्वर

जनपद पिथौरागढ़

परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर तकनीकी एंजेसियों के फील्ड स्टाफ के लिए परियोजना के उद्देश्यों एवं गतिविधियों को संचालित करने की रणनीति पर दो दिवसीय लाईवलीहुड प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। माह फरवरी-मार्च 2015 में समस्त जनपदों में इस प्रकार की 08 कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनका उद्देश्य निम्न प्रकार है-

जनपद अल्मोड़ा

जनपद रूद्रप्रयाग

जनपद टिहरी

- तकनीकी सहयोगी संस्था के कार्यकर्ताओं को परियोजना व परियोजना द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी देना।
- परियोजना के लक्ष्य, लक्षित गांव तथा परिवार, प्रवेश गतिविधियों का क्रियान्वयन, खाद्य सुरक्षा क्रियान्वयन, सामुदायिक उपार्जन तथा परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन की कार्ययोजना आदि से संबंधित जानकारी देना।
- कार्यकर्ताओं को परियोजना के उददेश्यों, लक्ष्यों तथा रणनीति सम्बन्धी जानकारी देना।
- परियोजना की व्यावसायिक रणनीति तथा मूल्य वृद्धि श्रृंखला की विस्तृत जानकारी देना।
- संस्था द्वारा किये गये कार्यों का प्रस्तुतीकरण करना।
- तकनीकी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पादक समूह/अतिगरीब उत्पादक समूह, MIS तथा Household Format पर चर्चा करना।
- उत्पादक समूह एवं अति गरीब उत्पादक समूहों में किन व्यक्तियों को जोड़ा जायेगा।
- कार्यकर्ताओं की परियोजना सम्बन्धी शंकाओं का हल करना।
- समूह रिकॉर्ड एवं FSIP (Food security improvement plan) पर जानकारी प्रदान करना।
- जेण्डर संवेदनशीलता व परियोजना की जेण्डर रणनीति की जानकारी देना।
- आजीविका संघ गठन प्रक्रिया पर चर्चा करना इत्यादि।

जनपद उत्तरकाशी

जनपद देहरादून